15 Points Suggestions for Coming Budget 2013

Respected Sir
Honorable Shri Manmohan Singh Ji
Prime Minister
Government of India

I am submitting herewith my respectfully submission of 15 points regarding the coming budget 2013, in a capacity of general citizen of India.
I shall be glad if you can consider my suggestions.

If you can guide us other forum or places where I should send this suggestions will be highly thankful.

My 15 points are below presented in Hindi

Requested By

CA Pankaj Jaiswal
pankaj@ascoca.com
+919819680011
914 A Wing Sagar Tech Plaza
Sakinaka Junction, Andheri East-Mumbai
Pin-400072

<u>जनता का कल्याण एवं आय ही बजेट का उद्देश्य होना चाहिए न की सरकार का कल्याण एवं आय</u>

आगामी बजट चुनावी बजट भी है और यही एक मौका है जिसमे सरकार अपनी सामाजिक प्रतिबद्धतावों को प्रदर्शित कर सकती है। सरकार को इस बजट मे निम्न बिन्दुवों पे ध्यान देना चाहिए।

1. **<u>कर भुगतान के साथ अनिवार्य बीमा एवं मेडिकल सुरक्षा को जोड़ना</u>**

आजकल आप किसी बैंक मे अकाउंट खोलिए या क्रेडिट कार्ड लीजिये बैंक बिना मांगे ही आपको 2 लाख से लेके 10 लाख का दुर्घटना बीमा कर देते हैं वो भी बिना प्रीमियम लिए। जबकि हम सरकार को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर के रूप पे अपनी गाढ़ी कमाई चुकाते हैं लेकिन उसके समानुपात मे हमे न्यायसंगत रिटर्न नहीं मिलता है। सरकार को इस समय जबकि बीमा कंपनियाँ प्रतिद्वंदी हो गयी है करदाता द्वारा जमा किए गए प्रत्यक्ष कर के एवज मे अनिवार्य दुर्घटना बीमा , मेडिकल बीमा एवं पेंशन बीमा करना चाहिए, जिसकी सीमा इस प्रकार हो ।

Total Direct or Indirect Tax Paid		Social Cover Given by the GOI through Insurance					
Direct Tax Paid	**Indirect Tax Paid**	**Assumed Medical Insurance Premium**	**Assumed Accidental Insurance Premium**	**Assumed Pension Insurance Premium**	**Total Premium**	**% Of Premium to DT**	**% Of Premium to IDT**
10000	50000	200	100	200	500	5%	1%
30000	150000	600	300	600	1500	5%	1%
50000	250000	1000	500	1000	2500	5%	1%
75000	375000	1500	750	1500	3750	5%	1%
100000	500000	2000	1000	2000	5000	5%	1%
150000	750000	3000	1500	3000	7500	5%	1%
250000	1250000	5000	2500	5000	12500	5%	1%
350000	1750000	7000	3500	7000	17500	5%	1%
600000	3000000	12000	6000	12000	30000	5%	1%
800000	4000000	16000	8000	16000	40000	5%	1%
1000000	5000000	20000	10000	20000	50000	5%	1%
2000000	10000000	40000	20000	40000	100000	5%	1%
4000000	20000000	80000	40000	80000	200000	5%	1%
8000000	40000000	160000	80000	160000	400000	5%	1%

Total Accumulated Direct or Indirect Tax Paid		Social Cover Given by the GOI through Insurance after certain ages
Direct Tax Paid	Indirect Tax Paid	Type of Cover
1000000	10000000	Totally Medical Aid free in any hospital and reimbursed by Govt after 60 Years
2500000	25000000	Totally Medical Aid free in any hospital and reimbursed by Govt after 55 Years
5000000	50000000	Totally Medical Aid free in any hospital and reimbursed by Govt after 50 Years
10000000	100000000	Totally Medical Aid free in any hospital and reimbursed by Govt after 40 Years

2. आयकर का न्यायसंगत स्लैब का निर्माण करना चाहिए

वर्तमान मे 10% और 20% वाले स्लैब तो ठीक हैं लेकिन 30% वाले स्लैब न्यायसंगत नहीं हैं। देश मे अब 10 लाख से ऊपर कमाने वालों की तादात बढ़ गयी है और अब 11 लाख कमाने वाले और 11 करोड़ कमाने वाले को आप 1 ही श्रेणी मे नहीं रख सकते। हमारी सलाह है की आयकर की निम्न न्यायसंगत सीमा हो।

Proposed Tax Slab	
Income Slab	Tax Rate
0-300000	0%
300000-600000	10%
600000-1000000	15%
1000000-2500000	20%
2500000-5000000	25%
5000000-10000000	30%
10000000-50000000	35%
50000000-100000000	40%
100000000-250000000	45%
250000000 & Above	50%

3. सेवाकर के दायरे से हाथ रिक्शा, साइकल रिक्शा और मीटररहित टॅक्सी को बाहर रखना चाहिए

सेवाकर के नेगेटिव लिस्ट मे केवल सार्वजनिक परिवहन , रेडियो टॅक्सी एवं मीटर टॅक्सी को सेवाकर से बाहर रक्खा गया है और सार्वजनिक परिवहन को भी कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। जबकि ममता बनर्जी के राज्य कोलकाता मे बहुत ज्यादे संख्या मे हाथ रिक्शा इवान साइकल रिक्शा चलते हैं और इस कानून के आड़ मे अगर किसी के पास 2 या 3 से ज्यादे रिक्शा है तो उसकी सालाना प्राप्ति 10 लाख से ज्यादे हो जाएगी और अनजाने मे ही वह सेवाकर न चुकाने का अपराधी हो जाएगा, ठीक ऐसा ही हाल मुंबई इवान छोटे छोटे शहरों मे चलने या चलाने वाले शेयर टॅक्सी, टेम्पो, या साइकल रिक्शा के साथ भी हो जाएगा। अतः सरकार को जनता के कल्याण के दृष्टिकोण से सभी तरह के रिक्शा एवं टॅक्सी को जो की सामान्य सवारी ढोने का कार्य करती हैं और हायरिंग व्यवसाय मे नहीं है पे सेवाकर माफ करना चाहिए।

4. सेवाकर के पंजीकरण की न्यूनतम सीमा 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख करना चाहिए

रिर्वस चार्ज मैकानिज़म विधि मे सेवाकर का दायित्व यदि संबन्धित व्यक्ति को यदि 5 लाख से ज्यादे का भुगतान करें तभी आना चाहिए अन्यथा ट्रेडिंग कंपनियाँ जिनका दूर दूर तक सेवा कर से वास्ता नहीं हैं 1000 रुपये वकील को फीस देने के कारण उन्हे सेवाकर मे पंजीकरण से लेकर अन्य कम्प्लायंस करनी पड़ेंगी। अतः इससे छूट मिलनी चाहिए।

5. टैक्स ऑडिट (44 AB) का भुगतान और नियुक्ति सरकार द्वारा किया जाना चाहिए और यह टर्नओवर आधारित होना चाहिए

वर्तमान कानून के अनुसार टैक्स ऑडिट हम सरकार (आयकर विभाग) के लिए सरकार (आयकर विभाग) के सुझाए फ़ारमैट मे उनके अनुसार मांगे गए विवरण के हिसाब से तैयार करके सरकार (आयकर विभाग) को देते है और एक तरीके से हम सरकार के आय की सुनिश्चितता , उसके द्वारा बनाए गए कर वसूली के नियमों का पालन हो रहा है की नहीं के संबंध मे सरकार की चौकीदारी करते हैं जबकि इस कार्य के लिए पैसा हमे करदाता से लेना पड़ता है, यह व्यवस्था अंकेक्षक के स्वतन्त्रता को प्रभावित करता है और सामान्यतया बहुत से करदाता को कर के नियमों की जटिलतावों का पता नहीं रहता है और अंकेक्षक के पास साल के अंत मे आते हैं जब तक वो कई नॉन कम्प्लायंस कर चुके होते हैं, अंकेक्षक के पास दुविधा वाली स्थिति हो जाती है उसको मालूम है की करदाता ने गलतियाँ गैर जानकारी के अभाव मे किया है लेकिन उसे उसकी रेपोर्टिंग करनी पड़ती है जिसके कारण करदाता को अंकेक्षक की फीस के अलावा कर एवं ब्याज के रूप मे भारी फीस चुकानी पड़ती है। और कई बार करदाता और अंकेक्षक मे इस बात को लेके विवाद भी हो जाते हैं अतः टैक्स अंकेक्षकों की नियुक्ति सरकार के द्वारा ही होना चाहिए। और करदाता को कम से कम तीन अंकेक्षकों का विकल्प देना चाहिए एक न्यूनतम फीस की सीमा के साथ और इस फीस का भुगतान भी सरकार को ही करना चाहिए।

6. टैक्स ऑडिट की संख्या मर्यादा न्यायसंगत नहीं है।

पूरे देश मे अधिकतम अंकेक्षण कार्य मे 1 लाख सीए होंगे और सरकार के हिसाब से तय सीमा प्रति सीए 60 टैक्स ऑडिट के हिसाब से कुल 60 लाख व्यवसाय का ही टैक्स ऑडिट हो सकता है जबकि पूरे देश मे टैक्स ऑडिट योग्य व्यवसाय कम से कम 3 करोड़ होंगे अतः सरकार को दो मोर्चे पे काम करना पड़ेगा वो यह है की देश मे अनुमानित टैक्स ऑडिट केस की संख्या मे उपलब्ध सीए का भाग देने पे जो प्रतिफल आता है वही प्रति सीए अधिकतम टैक्स ऑडिट की संख्या होनी चाहिए।

7. टैक्स ऑडिट की टर्नओवर सीमा बढ़नी चाहिए

इसे वर्तमान सीमा 60 लाख से बढ़ा के 1 करोड़ कर देनी चाहिए।

8. ऑनलाइन रिटर्न अनिवार्यता दूरस्थ क्षेत्रों के लिए कुछ छूटों के साथ होनी चाहिए

दूरस्थ क्षेत्रों मे जहां बिजली एवं इंटरनेट की समस्या है वहाँ ऑनलाइन फ़ाइल अनिवार्य करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है क्यूँ की भारत के दूरस्थ क्षेत्रों की अधिकांश जनता तकनीक की उतनी जानकार नहीं है, और अगर जानकार भी है तो बिजली और इंटरनेट न होने के कारण रिटर्न फ़ाइल करने मे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

9. आयकर धारा 90(2) और 206AA मे स्पष्टता आनी चाहिए

विदेशी भुगतान के समय अभी भी जिन केसों मे पैन नहीं है भ्रम बना हुआ है की डीटीएए की कम दर लें या 20% 206AA के अनुसार लें। सरकार को ईसपे स्पष्टीकरण जारी करनी चाहिए।

10. भवन निर्माण मे प्रयुक्त वस्तुवों पे उत्पाद शुल्क न्यूनतम होनी चाहिए

बढ़ते मकानों की कीमतों को देखते हुवे सरकार को भवन निर्माण मे लग रहे वस्तुवों सीमेंट, छड़ आदि सामानों मे न्यूनतम उत्पाद शुल्क लगानी चाहिए जैसे की 1% या 2%।

11. कारख़ाना निर्माण मे प्रयुक्त हुवे सामग्रियों पर सेनवैट क्रेडिट मिलनी चाहिए

कारख़ाना निर्माण मे प्रयुक्त हुवे सामग्रियों पर सेनवैट क्रेडिट मिलनी चाहिए ताकि उत्पादित हुवे वस्तु मूल्यों की लागत कम हो सके

12. बजट प्रस्तुति मे पारदर्शिता होनी चाहिए और समाचार पत्रों मे आनी चाहिए

सामान्यतया जनमानस मे बजट की भविष्य की घोषणाएँ ही सुनने को मिलती हैं कभी भी जनमानस मे पिछली अवधि मे खर्च किए गए और प्राप्त किए गए राशियों का विवरण योजनवार और राज्यवार नहीं प्राप्त होता है जबकि पिछली अवधि की रिपोर्ट योजनवार एवं राज्यवार अखबारों मे प्रकाशित होनी चाहिए साथ मे ई कॉपी की भी व्यवस्था वैबसाइट मे होनी चाहिए ताकि अगर कोई डीटेल मे गहनस्तर पे भी जाना चाहे तो चला जाए। साथ ही सरकार अगर लिस्टेड कंपनियों को अपना परिणाम सार्वजनिक करने का अनिवार्य आदेश दी हुवी है तो ये तो देश का हिसाब हा महा हिसाब, पिछली अवधि का तो निश्चित ही प्रकाशित होना चाहिए।

13. निम्न क्षेत्रों को विशेष क्षेत्र घोषित करना चाहिए, विशेष कर एवं राहत पैकेज देना चाहिए

निम्न क्षेत्रों को विशेष क्षेत्र घोषित करना चाहिए, विशेष पैकेज देना चाहिए और आगामी 10 साल तक किसी भी तरह के कर से मुक्ति देनी चाहिए अगर कोई वहाँ पे आईटी उद्योग, आधारभूत सरंचना उद्योग, सप्लाइ चैन, गोदाम निर्माण या कृषि आधारित उद्योग लगाता है। ये क्षेत्र निम्न हैं।

1. पूर्वाञ्चल
2. बुंदेलखंड
3. विदर्भ
4. तेलंगाना
5. पूर्वोत्तर के राज्य
6. जम्मू कश्मीर

14. पूर्वाञ्चल को नो इनसेफेलिटिस जोन घोषित करनी चाहिए

15. मेडिकल सिटि/जोन का निर्माण

शहरों से बाहर और दूरस्थ क्षेत्रों मे विकास और सामाजिक दृष्टिकोण से भी स्पेशल मेडिकल सिटि/जोन का निर्माण करना चाहिए और इसको निजी क्षेत्रों के लिए प्रोत्शाहित करना चाहिए। दूरस्थ क्षेत्रों मे कार्य कर रहे चिकित्सकों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा डबल मानदेय देना चाहिए ताकि वो दूरस्थ क्षेत्रो मे समय बिताएँ।

दूरस्थ क्षेत्रों मे मेडिकल सुविधा , पैथोलॉजी इत्यादि के निर्माण के लिए प्रोत्शाहन योजना लानी चाहिए।

Requested By

CA Pankaj Jaiswal
pankaj@ascoca.com
+919819680011
914 A Wing Sagar Tech Plaza
Sakinaka Junction, Andheri East-Mumbai
Pin-400072